न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/द्रुतगामी न्यायालय–प्रथम, बलरामपुर।

सिविल अपील संख्या– 28/2016

राजकुमार आदि बनाम रीता देवी आदि।

दिनांकः–28–05–2019– पुकारा। पुकार पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 23 ग एवं आपत्ति 26 ग पर सुनी गयी।

निस्तारण प्रार्थना पत्र 23(ग)

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मूलवाद संख्या 643/1994 सीता देवी बनाम रीता देवी आदि में संशोधन किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। इसके समर्थन मे शपथपत्र 24 ग दाखिल किया गया है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के विरूद्ध प्रत्यर्थीगण ने अपनी आपत्ति 26 ग मय शपथपत्र श्रीमती रीता देवी शुक्ल दाखिल की है।

अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र के माध्यम से यह कहा कि अपील संख्या 39/16 एवं अपील संख्या 28/16 एकजयी होकर अन्तिम सुनवाई हेतु नियत है। अग्रणी वाद संख्या 30/86 में सभी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं। बहस करते समय यह तथ्य प्रकाश में आया है कि मूलवाद संख्या 643/1944 के अभिवचन पर अवर न्यायालय में साक्ष्य नहीं आया वह दोनों व्यक्तियों के एकजयी होने के कारण मूलवाद संख्या 30/1986 में आया और अवर न्यायालय ने उसी साक्ष्य के आधार पर मूल वाद संख्या 643/1944 को निस्तारित कर दिया। पश्चातवर्ती वाद होने के कारण अवर न्यायालय द्वारा ध्यान नहीं दिया गया और इसी कारण संशोधन नहीं किया जा सकता।

प्रार्थी/प्रत्यर्थीगण बहुत ही कम पढ़े–लिखे हैं इसलिए ध्यान नहीं दे सके कि मूलवाद संख्या 643/1944 में संशोधन आवश्यक है कि विवादित विक्रय विलेख का गाटा संख्या 1628 था जिसका नया नम्बर 658 है। गाटा संख्या 1628 चकबन्दी से पृथक होने के कारण केवल उसका नम्बर बदल गया अन्य कोई कार्यवाही नहीं हुई अर्थात उस पर चकबन्दी का प्रभाव नहीं पड़ा। उपरोक्त तथ्य का संशोधन मूलवाद संख्या 643/1944 अन्तराल में करना आवश्यक है।

मुकदमा वर्ष 2002 से प्रतिवादी की है इसलिए इसमें वर्ष 2002 के सी0पी0सी0 में किये गये संशोधन लागू होंगे। उक्त संशोधन से वाद की प्रकृति नहीं बदलती है और न ही कोई अतिरिक्त साक्ष्य आया है। अतः उपरोक्त संशोधन करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण द्वारा अपनी आपत्ति के माध्यम से कहा गया कि प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना पत्र मात्र अपील को लम्बित रखने के लिए किया गया है। मूलवाद संख्या 30/1986 एवं 643/1944 दिनांक 19—08—2018 को अग्रणी वाद संख्या 30/1986 को लीडिंग केस मानते हुए गुणदोष के आधार पर निस्तारित किया गया जिसमें वादीगण को सम्यक साक्ष्य प्रस्तुत करने का सम्पूर्ण अवसर प्रदान किया गया था और 38 वर्ष के लम्बे अन्तराल के बाद उक्त वाद को निस्तारित किये गये। दस्तावेजी साक्ष्य के खसरा खतौनीव विक्रय पत्र के आधार पर उसे प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णीत किया गया जो अपीलार्थीगण द्वारा दाखिल साक्ष्य के आधार पर निर्णीत किया गया जो साक्ष्य मूलवाद संख्या 30/1986 में आया और जो साक्ष्य 643/1944 में आया वह दोनों वादों में पढ़ा गया और सम्यक परिशीलन किया गया। तत्: पश्चात निर्ण प्रदान किया गया। वर्तमान समय में कोई भी कार्यवाही अवर न्यायालय के समक्ष लम्बित नहीं है। इस प्रकार मूलवाद में वादी अनुसार कोई भी संशोधन किया जाना सम्भव नहीं है। बाछिंत संशोधन एकदम नया तथ्य है। इससे वाद की प्रकृति व करण बदल जाएगा। अपील में निर्णय को अन्डर चैलेंजिंग किया गया और संशोधन के माध्यम से लेकुना फिलअप करने के के लिए अपील संशोधन प्रार्थना पत्र दिया गया है। आपत्ति में दिये गये तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र संशोधन दिनांकित 29—04—2019 को निरस्त करने की कृपा करें।

1. **अपीलार्थी द्वारा अपने पक्ष कथन के समर्थन में**— स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद बनाम टाउन म्यूनसिपल कांउसिल 2007 (1) एस0सी0डी0 पेज नम्बर 229— संशोधन नियम 2002 सी0पी0सी0 आदेश 6 नियम 17 के प्रावधानों/परन्तुक 1998 में दायर किये गये दावे पर लागू नहीं होंगे।

2. **पूरन राम बनाम भागू राम और अन्य 2008 (1) एस0सी0डी0 पेज 120— Amendment of part of description in plaint and in agreement to sell of mutual mistake is permissible.**

B. **Change-Not involving change of nature of suit or limitation-Correction of or rectification of a part of the description of property can be granted.**

3. **अब्दुल रहमान और अन्य बनाम रूलदु और अन्य 2012 (30) एल0सी0डी0 पेज 2032 संशोधन करने की शक्ति—** अत्यन्त वृहद और कार्यवाही किसी भी स्तर पर न्याय हेतु में की जा सकती है। वादी का सुस्थापित सिद्धान्त है कि आवश्यक तथ्य के आधार पर संशोधन के लिए आवश्यक है। वह पहले से वाद में उल्लेखित हो और जिससे वाद प्रकृति न बदल रही हो तो बैनामा

प्रक्रिया पत्र के निरस्तीकरण का अनुतोष जिससे वाद की प्रकृति नहीं बदली है। संशोधन किया जा सकता है।

4. वरूण पहावा बनाम श्रीमती रेनु चौधरी 2019 (37) एल0सी0डी0 पेज 589 वाद पत्र के रूप में पक्षकार के उचित प्रपत्र पर उनके अधिवक्ता द्वारा तैयार नहीं किया गया अवर न्यायालय

दिनांक– 28–05–2019

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश
/द्रुतगामी न्यायालय–प्रथम,
बलरामपुर।